

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 03.02.2026

कूटरचना कर 02 करोड़ रुपये गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में व0उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 003/2026 धारा 306,316(4),319(2),352,351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त प्रियेश सिंह पुत्र हरीलाल सिंह निवासी महुवा बजरट्टा थाना तरकुलहा जिला देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादिनी के दुकान में कैशियर व सेल्समैन के रूप में कार्य करते हुए बिल में कूटरचना कर करीब 02 करोड़ रुपये गबन कर लिया गया, जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त प्रियेश सिंह पुत्र हरीलाल सिंह निवासी महुवा बजरट्टा थाना तरकुलहा जिला देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 003/2026 धारा 306,316(4),319(2),352,351(3) बीएनएस थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अभय सिंह यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. म0उ0नि0 चन्दा कुमारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 मंगल दीप यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर